भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं.\*4**

22.11.2011 को उत्तर के लिए

**'देश में वनाच्छादित क्षेत्र'**

**\*4. श्री रामचन्द्र खूंटिआ :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वैश्वीकरण, उद्योगीकरण, शहरीकरण और कोयला खदानों के दोहन के कारण राज्यवार कितना-कितना वनाच्छादित क्षेत्र समाप्त हो चुका है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में, राज्य-वार वृक्षारोपण द्वारा कितने-कितने नये वनाच्छादित-क्षेत्र का सृजन किया गया है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

**(क) और (ख)** विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

**\*\*\*\*\*\***

**'देश में वनाच्छादित क्षेत्र' के संबंध में श्री रामचन्द्र खूंटिआ द्वारा पूछे गए दिनांक 22.11.2011 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*4 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क)वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदनों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध I में दिया गया है ।

(ख) पिछले तीन वषाेर्ं के दौरान वनीकरण के अंतर्गत शामिल किए गए वन और सार्वजिनक भूमि के क्षेत्र का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध II में दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

अनुबंध - I

**'देश में वनाच्छादित क्षेत्र' के संबंध में श्री रामचन्द्र खूंटिआ द्वारा पूछे गए दिनांक 22.11.2011 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 4 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदनों (चरण-I और चरण -II) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **प्रदान किए गए अनुमोदन (चरण-I और चरण-II)** |
| --- | --- | --- |
| **2008** | **2009** | **2010** | **कुल** |
| **सं. \*** | **वनेतर उपयोग वाला क्षेत्र** **(हे.)** | **सं. \*** | **वनेतर उपयोग वाला क्षेत्र** **(हे.)** | ***सं.\****  | **वनेतर उपयोग वाला क्षेत्र** **(हे.)** | **सं.\***  | **वनेतर उपयोग वाला क्षेत्र** **(हे.)** |
| 1 | 2 | *3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 81 | 6,231.41 | 39 | 4453.65 | 33 | 5,618 | 153 | 16303.11 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 487.99 | 19 | 1252.24 | 52 | 1,947.22 | 83 | 3687.45 |
| 3 | असम | 27 | 120.03 | 18 | 365.54 | 7 | 449.77 | 52 | 935.34 |
| 4 | बिहार | 19 | 275.29 | 12 | 112.94 | 31 | 2,795.43 | 62 | 3183.66 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 49 | 3,558.78 | 28 | 1,963.33 | 33 | 4,695.79 | 110 | 10,217.9 |
| 6 | गोवा | 9 | 432.14 | 13 | 640.8 | 8 | 239.94 | 30 | 1,312.88 |
| 7 | गुजरात | 85 | 721.08  | 134 | 3,312.52 | 141 | 1,411.91 | 360 | 5,445.51 |
| 8 | हरियाणा | 375 | 279.38 | 199 | 740.77 | 312 | 384.6 | 886 | 1,404.75 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 120 | 494.66 | 83 | 885.85 | 173 | 1,432.14 | 376 | 2,812.65 |
| 10 | झारखंड | 27 | 2,194.57 | 27 | 1,072.44 | 72 | 6,784.63 | 126 | 10,051.6 |
| 11 | कर्नाटक | 38 | 684.52 | 34 | 1,149.55 | 28 | 1,302.82 | 100 | 3,136.89 |
| 12 | केरल | 6 | 51.78 | 10 | 15.27 | 5 | 1.48 | 21 | 68.53 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 48 | 2,268.33 | 66 | 3,394.18 | 58 | 2,842.89 | 172 | 8,505.4 |
| 14 | महाराष्ट्र | 73 | 3,268.46 | 69 | 3,655.05 | 71 | 2510.30 | 385 | 9,433.81 |
| 15 | मणिपुर | 2 | 22.88 | 0 | 0 | 4 | 691.79 | 6 | 714.67 |
| 16 | मेघालय | 8 | 7.61 | 3 | 4.87 | 2 | 230.6 | 13 | 243.08 |
| 17 | मिजोरम | 3 | 269.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269.24 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | उड़ीसा | 39 | 2,108.96 | 25 | 3,884.63 | 25 | 3,231.99 | 89 | 9225.58 |
| 20 | पंजाब | 263 | 255.78 | 187 | 953.75**\*\*** | 273 | 422.38 | 723 | 1631.95 |
| 21 | राजस्थान | 75 | 3,364.80 | 55 | 810.47 | 30 | 2,639.34 | 160 | 6814.61 |
| 22 | सिक्कम | 49 | 226.38 | 24 | 77.27 | 11 | 385.23 | 84 | 688.88 |
| 23 | तमिलनाडु | 20 | 177.03 | 23 | 30.85 | 21 | 465.42 | 64 | 673.3 |
| 24 | त्रिपुरा | 38 | 41.47 | 20 | 24.94 | 16 | 392.83 | 74 | 459.24 |
| 25 | उत्तराखंड | 213 | 1,004.86 | 411 | 2,929.65 | 404 | 1,723.14 | 1028 | 5657.65 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 53 | 128.16 | 81 | 315.92 | 102 | 389.53 | 236 | 833.61 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 1 | 0.08 | 7 | 29.4 | 12 | 204.72 | 20 | 234.2 |
| 28 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 6 | 4.1 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 8 | 4.29 |
| 29 | चण्डीगढ़ | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 3 | 0.63 |
| 30 | दादर और नगर हवेली | 25 | 17.46 | 3 | 0.04 | 6 | 2.02 | 34 | 19.52 |
| 31 | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 6 | 19.35 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 7 | 20.29 |
| 33 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **1771** | **28,717.10** | **1,592** | **32,076.11** | **1,933** | **43,197.40** | **5,468** | **1,04,686.65** |

**\*:** अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या

**\*\*:** कृषि और पर्यावास के अंतर्गत शामिल किए गए 55,339.95 हे. को छोड़कर जो पंजाब लैंड प्रीजर्वेशन एक्ट, 1900 के अंतर्गत बंद कर दिया गया था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण-II के लिए अनुमोदन वर्ष 2009 के दौरान प्रदान किया गया था जिससे इसे वन भूमि की सूची से बाहर रखा जा सके।

**टिप्पणी :** इस विवरण में जम्मू और कश्मीर से संबंधित सूचना शामिल नहीं है क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंध जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते ।

**अनुबंध - II**

**'देश में वनाच्छादित क्षेत्र' के संबंध में श्री रामचन्द्र खूंटिआ द्वारा पूछे गए दिनांक 22.11.2011 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 4 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और वन भूमि पर किए गए पौधारोपण के क्षेत्र (हेक्टेयर में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **वनीकरण कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल किया गया वन और सार्वजनिक भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)** |
| --- | --- | --- |
| **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **कुल** |
| 1 | 2 | *3* | 4 | 5 | 7. |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3,40,560 | 2,43,931 | 3,83,927 | **9,68,418** |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 10,268 | 7,115 | 6,150 | **23,533** |
| 3 | असम | 7,107 | 6,626 | 3,509 | **17,242** |
| 4 | बिहार | 22,747 | 21,366 | 15,378 | **59,491** |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 66,762 | 55,512 | 58,458 | **1,80,732** |
| 6 | गोवा | 487 | 371 | 488 | **1,346** |
| 7 | गुजरात | 1,12,247 | 1,69,353 | 1,27,149 | **4,08,749** |
| 8 | हरियाणा | 29,987 | 20,770 | 79,883 | **1,30,640** |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 20,997 | 20,165 | 24,710 | **65,872** |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 19,752 | 25,427 | 15,453 | **60,632** |
| 11 | झारखंड | 25,181 | 28,950 | 21,914 | **76,045** |
| 12 | कर्नाटक | 74,639 | 83,641 | 94,376 | **2,52,656** |
| 13 | केरल | 5,376 | 9,941 | 8,463 | **23,780** |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1,53,755 | 1,35,141 | 1,68,678 | **4,57,574** |
| 15 | महाराष्ट्र | 2,39,654 | 2,16,891 | 1,78,498 | **6,35,043** |
| 16 | मणिपुर | 8,468 | 23,673 | 10,532 | **42,673** |
| 17 | मेघालय | 2,552 | 1,096 | 654 | **4,302** |
| 18 | मिजोरम | 1,050 | 2,983 | 7,197 | **11,230** |
| 19 | नागालैंड | 875 | 0 | 0 | **875** |
| 20 | उड़ीसा | 98,789 | 1,32,130 | 2,42,868 | **4,73,787** |
| 21 | पंजाब | 8,125 | 11,548 | 13,711 | **33,384** |
| 22 | राजस्थान | 44,365 | 1,02,207 | 96,356 | **2,42,928** |
| 23 | सिक्कम | 3,862 | 8,007 | 2,734 | **14,603** |
| 24 | तमिलनाडु | 1,53,732 | 66,446 | 95,499 | **3,15,677** |
| 25 | त्रिपुरा | 12,597 | 13,228 | 16,650 | **42,475** |
| 26 | उत्तराखंड | 1,20,848 | 27,163 | 20,044 | **1,68,055** |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 70,225 | 96,070 | 84,516 | **2,50,811** |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 18,634 | 15,043 | 14,286 | **47,963** |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1,212 | 1,738 | 1,377 | **4,327** |
| 30 | चण्डीगढ़ | 383 | 180 | 272 | **835** |
| 31 | दादर और नगर हवेली | 284 | 205 | 200 | **689** |
| 32 | दमन और दीव | 30 | 20 | 10 | **60** |
| 33 | दिल्ली | 80 | 123 | 1,496 | **1,699** |
| 34 | लक्षद्वीप | 20 | 20 | 27 | **67** |
| 35 | पुडुचेरी | 50 | 50 | 33 | **133** |
| **कुल** | **16,75,700** | **15,47,130** | **17,95,496** | **50,18,326** |

\*\*\*\*